

ग्रसाबारण

EXTRAORDINARY

माग II—वण्ड 3—उन्खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (if)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Ho 347]

नई बिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 1975/भार्व 17, 1897

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 1975/BHADRA 17, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सर्क । Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th September 1975

S.O. 478(E).—In pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 208 (E), dated the 16th May, 1975, the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1975 as the date on which the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), shall come into force in the State of Sikkim.

[No. 10/2/75-DGCD(CD)]

गृष्ट मंत्रालय

श्रधिसूच नाए

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1975

का श्रा॰ 478 (श्र).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की श्राधिसूचना सं० का श्रा॰ 208 (श्र), तारीख 16 मई, 1975 के श्रनुसरण में 1 ग्रक्टूबर, 1975 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को नागरिक सुरक्षा श्रधिनियम, 1968 (1968 का 27) सिक्कम राज्य में प्रवृत्त होगा।

[सं • 10/2/75-डी॰ जी॰ सी॰ डी॰ (सी॰ डी॰)]

(2015)

S.O. 479(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), the Central Government hereby directs that the Civil Defence Rules 1968 shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the 1st day of October, 1975.

[No, 10/2/75-DGCD(CD)]

का॰ मा॰ 479 (म).—केन्द्रोय सरकार, नागरिक सुरक्षा ग्रिधिनियम, 1968 (1968) का 27) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त गिक्तयों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 का सिक्कम राज्य में घिस्तार तथा प्रवर्तन 1 श्रवट्वर, 1975 को होगा।

[सं॰ 10/2/75-डीं॰ जी॰ सी॰ डी॰ (सी॰ डी॰)]

S.O. 480(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), the Central Government hereby directs that the Civil Defence Regulations, 1968 shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the 1st day of October, 1975.

[No. 10/2/75-DGCD(CD)] C. G. SOMIAH. Jt. Secv.

का॰भ्रा॰ 480 (भ्र).—केन्द्रीय सरकार, नागरिक सुरक्षा ग्रिधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 का सिक्कम राज्य में विस्तार तथा प्रवर्तन 1 श्रक्टबर, 1975 को होगा।

[सं 0.10/2/75-डी॰ जी॰ सी॰ डी॰ (सी॰ डी॰)]

सी० जी० सोमैया, संयुक्त सचिव।